प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2021
प्र.इ.रि.स 04/22 दिनांक 7/1/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 188 समय 8:15 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 06.01.2022 समय 01:00 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.12.2021 समय 02:45 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी– भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर से बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 40 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : श्री विष्णु कुमार कलाल
(2) पिता का नाम : श्री हिरालाल
(3) आयु : साल 30 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : व्यापार
(7) पता : ग्राम मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर,
2. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर
3. श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर जिला उदयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	25,000 रूपये	

आरोपी 1. श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर, 2. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर एवं 3. श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर जिला उदयपुर द्वारा आपसी षडयंत्र रचकर परिवादी श्री विष्णु कुमार कलाल से उसकी लाईसेन्सी शराब की दुकानों को बिना परेशानी संचालन करनें की एवज में अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोंग कर मासिक बंधी के अवैध पारितोषण के रूप में रिश्वत राशि मांग कर 25000 रूपयें ग्रहण कर अपनी टेबल की दराज में रखना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 25000 रू रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 20.12.2021 को समय 02:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर ने उनके कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनके कक्ष में पूर्व से ही उपस्थित परिवादी श्री विष्णु कुमार से परिचय कराया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सुपुर्द कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री विष्णु कुमार को अपने कक्ष में लेकर उपस्थित हुआ। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ''मैं प्रार्थी विष्णु कुमार कलाल पुत्र श्री हिरालाल जी उम्र 30 वर्ष ग्राम मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर का निवासी हूँ। मेरे द्वारा ग्राम मेनार में एनएच 8 पर एक लाईसेन्सी शराब की दुकान तथा वृत्त सलुंबर में दो लाईसेन्सी शराब की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। श्री गोपीलाल जी सीआई साहब वृत मावली द्वारा मुझसे मेनार की लाईसेन्सी दुकान के संचालन तथा किसी भी प्रकार से आबकारी विभाग द्वारा परेशान नहीं करने की एवज में प्रतिमाह 5000 रूपयें मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि की मांग की जा रही है तथा श्री महेन्द्र कुमार जी पीओ साहब मावली द्वारा भी मेरी मेनार स्थित शराब की दुकान के बिना परेशानी संचालन की एवज में प्रतिमाह 1000 रूपये की मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि की मांग श्री गोपीलाल जी सीआई साहब के मार्फत की जा रही है। इसके अलावा मेरी ग्राम अमरपुरा व रामज वृत सलूंबर में संचालित दो लाईसेन्सी शराब की दुकान के संचालन की एवज में श्री योगेश सालवी सीआई साहब वृत सलूंबर द्वारा भी मेरी वेध लाईसेन्सी दूकान के संचालन तथा किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करने की एवज में प्रतिमाह 6000 रूपये मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि की मांग श्री गोपीलाल जी सीआई साहब के मार्फत की जा रही है। इन तीनो आबकारी अधिकारीयो द्वारा मेरी वेध लाईसेन्सी शराब की दुकानो के संचालन में परेशान नही करने की एवज में मासिक बंधी देने हेतु रिश्वत की मांग कर रहे है तथा तीनो अधिकारियो के लिये रिश्वत राशि की मांग की बातचीत श्री गोपीलाल जी ही करते है। मैं श्री गोपीलाल जी सीआई साहब वृत मावली, श्री महेन्द्र कुमार जी पीओ साहब मावली तथा श्री योगेश जी सालवी सीआई साहब वृत सलूंबर को रिश्वत ग्रहण करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हुँ। मेरी इन तीनो अधिकारीयो से कोई रूपयों की कोई उधार लेनदेन बकाया नहीं है और न ही उनसे कोई दुश्मनी है। अतः कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करें।'' प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर के श्री राजेश कुमार कानि0 नं. 263 को बुलाकर कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का डिजिटल टेप रिकार्डर बरंग काला मय रिक्त मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री विष्णु कुमार को डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन एवं रिकार्डिंग करनें की विधि की समझाईश की गई। परिवादी श्री विष्णु कुमार ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री गोपीलाल सोलंकी मुझसें केवल वॉटसअप कॉल पर ही वार्ता करता है मैं जब भी उनसे मिलने जाता हुँ वॉटसअप कॉल करके ही जाना पडता है। समय करीब 03:30 पीएम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार को संदिग्ध अधिकारी गोपीलाल से वार्ता कर उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत देकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर श्री राजेश कुमार कानि0 नं. 263 के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर ब्यूरों कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया गया। समय करीब 05.27 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि0 नं. 263 ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी से रिश्वत मांग करने वाले संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत मांग की वार्ता की गई हैं जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया है तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा

परिवादी को रिश्वत राशि लेकर तीन या चार जनवरी के बाद बुलाया है जिस पर कानि0 श्री राजेश को परिवादी को आरोपी द्वारा उसकी मांग अनुरूप रिश्वत राशि की व्यवस्था कर 3–4 जनवरी 2022 को ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत करने बाबत् हिदायत दी गई। समय करीब 07.00 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि0 नं. 263 मय डिजिटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ तथा डिजिटल टेप रिकार्डर पेशकर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं व परिवादी कार्यालय आबकारी वृत निरीक्षक मावली के पास पहुँचे। समय करीब 04.33 पीएम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार को डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर आबकारी कार्यालय वृत मावली की तरफ रवाना किया तथा मैं कार्यालय के आसपास ही अपना छुपाव हासिल कर खडा रहा। तत्पश्चात लगभग 30 मिनिट के बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया और मुझे टेप रिकार्डर बंद अवस्था में सुपुर्द कर बताया कि गोपीलाल जी सीआई साहब से रिश्वत मांग संबंधी वार्ता कर मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिसमें सीआई साहब ने मुझे उनके मोबाईल फोन से श्री योगेश जी आबकारी निरीक्षक सलुम्बर से वार्ता करवायी जिस पर योगेश जी द्वारा मुझसे 7 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से मांग की। मेरे द्वारा थोडा ज्यादा है ऐसा कहने पर 6 हजार रूपये के हिसाब से प्रतिमाह कर देना बताया। उसके बाद सीआई साहब गोपीलाल जी ने प्रतिमाह उनकी बन्धी के साथ श्री महेन्द्र कुमार जी पीओ साहब के मिलाकर 8 हजार रूपये प्रतिमाह की मांग की व महेन्द्र कुमार जी पीओ साहब के पिछले महिनो का बाकि भी हिसाब करने के लिये बताया। तत्पश्चात मैं आपके द्वारा फोन पर दिये गये निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर वहाँ से रवाना हो गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर का चालू कर वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। इसके पश्चात डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.01.2022 को समय करीब 12:30 पीएम पर परिवादी विष्णु कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ और मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री गोपीलाल जी सीआई साहब को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि लेकर आया हूँ। जिस पर परिवादी श्री विष्णु को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय करीब 12:45 पीएम पर ट्रेप कार्यावाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु तहरीर जरिये विशेष वाहक श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक के साथ प्रेषित की गई। समय करीब 01:00 पीएम पर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान श्री विजय प्रकाश पटेल पुत्र श्री धनराज जी पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नं. 65, सी–ब्लॉक सेक्टर 9, उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता नगर विकास प्रन्यास उदयपुर एवं श्री जमनालाल कुमावत पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र जी कुमावत उम्र 55 वर्ष निवासी गांव ताणा, तहसील भूपालसागर, पुलिस थाना आकोला, जिला चित्तोडगढ, हाल कनिष्ठ सहायक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर उपस्थित हुए जिन्हे कार्यालय में बैठाया गया। समय करीब 01:15 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वंतत्र सरकारी गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की मौखिक स्वीकृति चाही गई जिस पर दोनों स्वंत्रत गवाहानों द्वारा अपनी–अपनी मौखिक स्वीकृति दी गयी। तत्पश्चात् परिवादी श्री विष्णु कुमार एवं स्वंत्रत गवाहान श्री विजय प्रकाश पटेल एवं श्री श्री जमनालाल कुमावत का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 20.12.2021 को स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि कर शब्द–ब–शब्द स्वयं की हस्तलिपि में होना बताया जिस पर स्वतंत्र गवाहानों के उक्त प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवायें गये। समय करीब 01:25 पीएम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार एवं स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष श्री दिनेश कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरो की अलमारी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल टेप

रिकार्डर को चलाकर दिनांक 20.12.2021 को परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी श्री गोपीलाल आबकारी अधिकारी के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुनाया तो परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री गोपीलाल संदिग्ध आबकारी अधिकारी एक आवाज श्री योगेश जी आबकारी अधिकारी वृत सलूम्बर की होना स्वीकार किया। इसके पश्चात उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द टांसक्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार से तैयार करवाई जाकर वार्ता की एक मूल, मुल्जिम एवं आईओ सीडी तैयार की जाकर मार्क A अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचीट मोहर कर मार्क A अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। पृथक से तैयार फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर स्वतंत्र गवाहानों तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02:50 पीएम पर आरोपी आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री विष्णु कुमार को कहा तो परिवादी ने कहा कि आरोपी अधिकारी मुझसें केवल वॉटस अप कॉल के माध्यम से ही वार्ता करता है जिस पर स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी के मोबाईल से आरोपी अधिकारी के मोबाईल पर लाउड मोड पर वॉटस अप कॉल करा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तो आरोपी अधिकारी द्वारा परिवादी को अगले दिन दिनांक 05.01.2022 प्रातः मावली कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु बताया। जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि के साथ तथा स्वंतत्र गवाहानों को दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद कर गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूकसत किया गया।

दिनांक 05.01.2022 को समय करीब 10:30 एएम पर परिवादी विष्णु कुमार रिश्वती राशि के साथ उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिसे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 10:35 एएम पर पाबंदशुदा स्वंतत्र गवाहान श्री विजय प्रकाश एवं जमनालाल कुमावत नगर विकास प्रन्यास उदयपुर उपस्थित आयें जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 10:50 एएम पर स्वंतत्र गवाहान श्री विजय प्रकाश पटेल कनिष्ठ अभियंता एवं श्री जमनालाल कुमावत कनिष्ठ सहायक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी सीआई आबकारी श्री गोपीलाल को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री विष्णु कुमार से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोट निकालकर प्रस्तुत किये गये, नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 UH 030164
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 AE 109876
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 AQ 225654
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 MG 976135
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 ER 861612
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 UN 105089
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 MK 662977
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 QF 519929
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 RP 761623
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 WE 074523
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 CQ 605970
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 EH 980305
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 GS 929954
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 RD 126665
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 ME 433670
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 DD 706715
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 BV 302020
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 LM 419814

19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 MG 382934
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 WR 634015
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 LP 580298
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 AG 935959
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 NA 897493
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 RQ 102186
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FU 413778
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 NS 425744
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 PV 972059
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 FR 028775
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 AQ 367783
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 NQ 396637
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 DP 674146
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 LE 888874
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 BM 420229
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 PC 151053
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 RV 106937
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 FD 228766
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 GU 411797
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 NP 475066
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 BH 328414
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 LF 218205
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 PU 445287
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 PN 771263
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 RA 667171
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 PQ 049853
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 CT 811187
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 AB 006091
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 UB 180545
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 HM 187548
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 MC 340057
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 EM 511534

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री सुरेशचन्द्र कानि0 283 से कार्यालय की आलमारी में सें फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 25,000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट में आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि. 263 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री सुरेशचन्द्र कानि0 की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफथेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री

राजेश कुमार से बाहर नाली में फिकवा कर उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी गोपीलाल के शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कुमार कानि. से दुबारा साफ पानी व शेंपू साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व शेंपू साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने–अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक और ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखकर अपने जेकेट में लगी केन को पहनकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री विष्णु कुमार को टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहित रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु टेप रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाईस कर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द मेरे निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि. 266 से पृथक से मुर्तिब करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर समय करीब 11:20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विजय प्रकाश पटेल कनिष्ठ अभियंता एवं श्री जमनालाल कुमावत कनिष्ठ सहायक, श्री दिनेश कुमार कानि0 266 श्री नन्दकिशोर कानि0 379, श्री प्रदीप कुमार 169 एवं श्री राजेश कुमार कानि0 263 मय प्रिन्टर लेपटॉपस्, ट्रेप बॉक्स, आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से तथा परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से रवाना करते हुए कार्यालय एसीबी एसयू उदयपुर से आबकारी कार्यालय मावली के लिए रवाना होकर समय करीब 12:40 पीएम पर कार्यालय आबकारी वृत्त निरीक्षक मावली से कुछ दूरी पूर्व पहुंचकर समय करीब 12:51 पीएम पर परिवादी के वॉटस अप से आरोपी श्री गोपीलाल के वॉटसअप पर कॉल करवाया तो आरोपी द्वारा सर्कल में होना बताया जिस पर आरोपी का इन्तजार करना सूनिश्चित किया गया। समय करीब 5:00 पीएम तक आरोपी के कार्यालय में आने का इन्तजार किया तथा गोपनीय तरीके से मालुमात करने पर भी संदिग्ध आरोपी श्री गोपीलाल के अपने कार्यालय पर नहीं आने तथा कार्यालय समय समाप्त होने को आने पर आरोपी के कार्यालय में उपस्थित होकर रिश्वत राशि ग्रहण करनें की संभावना नहीं होने से परिवादी की जेब में रखवाई गई फिनोफ्थेलीन लगी रिश्वत राशि स्वंतत्र गवाह श्री विजय प्रकाश कनिष्ठ अभियंता से निकलवाई जाकर एक लिफाफे में रखवाई जाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखी गई। तत्पश्चात परिवादी को दिनांक 06.01.2022 की प्रातः 11:00 एएम पर डबोक कस्बें में मुख्य मार्ग पर मिलने की हिदायत देकर रूकसत दी गई तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान एवं संसाधनों के सरकारी वाहन से कार्यालय एसीबी एसयू उदयपुर के लिए रवाना समय 6:20 पीएम पर कार्यालय एसीबी एसयू उदयपुर पर पहुँचा तथा स्वंतत्र गवाहानों को रूकसत के साथ अगले दिन दिनांक 10:30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई।

दिनांक 06.01.2022 को समय करीब 10:30 एएम पर स्वंतत्र गवाहान श्री विजय प्रकाश एवं श्री जमनालाल कुमावत कार्यालय में उपस्थित हुए जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय करीब 11:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विजय प्रकाश पटेल

कनिष्ठ अभियंता एवं श्री जमनालाल कुमावत कनिष्ठ सहायक, श्री दिनेश कुमार कानि0 266 श्री नन्दकिशोर कानि0 379, श्री प्रदीप कुमार 169 एवं श्री राजेश कुमार कानि0 263 मय प्रिन्टर लेपटॉपस्, ट्रेप बॉक्स, आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से कार्यालय एसीबी एसयू उदयपुर से आबकारी कार्यालय मावली के लिए रवाना होकर समय करीब 11:40 एएम पर कस्बा डबोंक से मावली मुख्य मार्ग पर पहुँचा था जहां परिवादी श्री विष्णु कुमार उपस्थित मिला जिस पर ट्रेप बॉक्स में से लिफाफे में रखी फिनोफ्थेलीन लगी रिश्वती राशि स्वंतत्र गवाह श्री विजय प्रकाश से निकलवाई जाकर कोई शैः न छोडते हुए परिवादी श्री विष्णु के पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाई तथा स्वंतत्र गवाह के हाथ वाहन में रखी पानी की बोतल एवं साथ में लाये पेपरसोप से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी एवं श्री राजेश कुमार कानि0 को परिवादी की निजी कार से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पीछे–पीछे रवाना होकर समय करीब 12:20 पीएम पर मावली कस्बें से कुछ दूरी पर रूककर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर जेकेट के साथ लगी केप पहनकर रिश्वती राशि दे चुकने का निर्धारित ईशारा करे यह ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप टीम को समझाया जाकर परिवादी को कार्यालय वृत्त निरीक्षक आबकारी मावली की तरफ टेप रिकार्डर चालु कर रवाना करते हुए उसके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक एवं हमराहियान रवाना होकर वृत्त निरीक्षक आबकारी कार्यालय मावली के आस–पास की गलियों में छुपाव हासिल कर खडे रहे कि समय करीब 1:00 पीएम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार ने उक्त आबकारी कार्यालय से बाहर आकर अपने सिर पर जेकेट के साथ लगी केप पहनकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंतत्र गवाहान एवं हमराहियान ट्रेप टीम को मेरे पीछे चलने का ईशारा कर तेज–तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुँचा तो उसने मन् पुलिस निरीक्षक को टेप रिकार्डर सुपुर्द की जिसे बन्द कर मैनें अपने पास सुरक्षित रखा तथा श्री दिनेश कुमार कानि नम्बर 266 को सुरक्षा की दृष्टि से आबकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर खडा किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी मय हमराहीयान को साथ लेकर कार्यालय वृत्त निरीक्षक आबकारी मावली मे प्रवेश करने पर उक्त कार्यालय के कक्ष में प्रवेश किया जिस पर सामनें टेबल कुर्सी लगी होकर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था तथा एक अन्य व्यक्ति कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पास खडा था जिस पर परिवादी विष्णु द्वारा कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री गोपीलाल सोलंकी आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली है इन्होंने अभी–अभी मुझसे मेरी वैध लाईसेन्सी शराब की दुकान चलाने में किसी प्रकार से परेशान नहीं करने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में पिछले दो महिने के स्वयं के लिए 10000 रूपयें तथा पीओ साहब के लिए 3000 रूपयें तथा वत्त निरीक्षक सलुंबर श्री योगेश सालवी के लिए 12000 रूपयें कुल 25000 रूपयें ग्रहण कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी टेबल की सबसे नीचे की दराज में रखे है तथा रिश्वत राशि ग्रहण करनें के पश्चात पीओ साहब श्री महेन्द्र कुमार जी तथा श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर से इन्होंने मोबाईल फोन से वॉटसअप कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करनें संबंधी वार्ता की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं तथा हमराहीयान का परिचय देते हुए अपने आने के मंतव्य से अवगत करा सामने बैठे व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी वृत निरीक्षक मावली जिला उदयपुर होना बताया तथा पास में खडे व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री रामचन्द शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी माहेश्वरियों का मोहल्ला ग्राम मावली जिला उदयपुर हाल ठेकाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर आबकारी वृत्त निरीक्षक कार्यालय मावली होना बताया। जिस पर उक्त कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से अभी–अभी परिवादी श्री विष्णु से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 25000 रूपयें किस बात के ग्रहण किये गये है

के बारें में पुछने पर आरोपी श्री गोपीलाल हाथ जोडकर माफी मांगने लगा तथा कहने लगा साहब गलती हो गई एक बार माफ कर दो साहब मेरे छोटे–छोटे बच्चे है भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर आरोपी को तसल्ली देकर पुनः पुछा तो आरोपी द्वारा बताया कि मैंने परिवादी श्री विष्णु से इसकी लाइसेंसी शराब की दुकान चलानें मे किसी प्रकार से कोई परेशान नही करने की एवज में दो महीने के 5000 – 5000 रूपये के हिसाब से कुल 10000 रूपयें मेरे लिए, आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर श्री योगेश सालवी के लिए दो महीने के 6000 – 6000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 12000 रूपयें तथा सीआई साहब श्री महेन्द्र कुमार के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 3 माह के कुल 3000 रूपयें मासिक बंधी के ग्रहण कर कुल 25000 रूपये मैने मेरी टेबल की सबसे नीचे की दराज में रखे है। जिस पर आरोपी से वृत्त निरीक्षक सलुंबर श्री योगेश के लिए रिश्वत राशि लेने संबंध में पुछा तो आरोपी ने बताया कि श्री विष्णु कुमार की लाईसेन्सी शराब की दुकान वृत्त सलुंबर में है जिसकी प्रतिमाह मासिक बंधी 6000 रूपयें के हिसाब से कुल 12000 रूपयें श्री यागेश सालवी के कहने पर ही मेरे द्वारा प्राप्त किये गये है। आरोपी के पास में खडे व्यक्ति श्री रामचंन्द्र से भी पुछा गया तो उसके द्वारा भी ताईद की गई कि साहब के पास यह विष्णु कुछ देर पहले आया था जिसकी मेनार में शराब की दुकान है उसने कुछ रूपयें दिये थे जो साहब ने अपनी टेबल की दराज में मेरे सामने रखे थे। तत्पश्चात आरोपी श्री गोपीलाल के मोबाईल नंबर 7790817182 से आरोपी श्री योगेश सालवी के मोबाईल नंबर 9799554054 पर समय करीब 1:07 पीएम पर कॉल करा लाउड मोड पर करा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तो आरोपी श्री गोपीलाल के द्वारा यह कहनें पर कि ''आपके पैसे मैने ले लिये है '' जिस पर आरोपी श्री योगेश सालवी द्वारा कहा गया कि ''हा .. हा वा ठीक है''। जिस पर आरोपी गोपीलाल से श्री महेन्द्र कुमार जाट पीओ के बारें में पुछा तो उसने बताया कि श्री महेन्द्र जी पीओ अभी–अभी कुछ देर पहले आबकारी थाना मावली पर गये है। आरोपी श्री गोपीलाल सोलंकी को उसका वॉटस अप ओपन करा कॉल फंक्शन में देखा तो आरोपी श्री गोपीलाल के वॉटस अप से आरोपी श्री महेन्द्र कुमार के वॉटस पर पर समय करीब 12:56 पीएम पर आउटगोईंग कॉल किया जाना प्रमाणित पाया जाने उसका स्क्रीनशॉट लिया गया। तत्पश्चात स्वंतत्र गवाह श्री विजय प्रकाश से आरोपी की टेबल की संबंधित दराज की तलाशी लिवाई गई तो उसके दराज में सें 500–500 रूपयें के नोट का एक बण्डल मिला जिसे स्वंतंत्र गवाह श्री विजय प्रकाश से निकलवाकर गिनवाये गये तो कुल 50 नोट होकर कुल 25000 रूपयें की राशि होना पाया गया जिसे स्वंतत्र गवाह के पास सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात आरोपी श्री गोपीलाल द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह श्री जमनालाल कुमावत से ट्रेप बॉक्स से दो कांच के साफ गिलास निकलवाये जाकर आरोपी के टेबल पर रखी पीने के पानी की बोटल से दोनों गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें स्वतंत्र गवाह श्री जमनालाल से ही एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात उक्त घोल में आरोपी श्री गोपीलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठें को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया उक्त धोवन को दो कांच की साफ शाशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री प्रदीप कानि नम्बर 169 की सहायता से सिलचिट करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दुसरे साफ कांच के गिलास में उक्त घोल में आरोपी श्री गोपीलाल के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को उक्त कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग भी गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री प्रदीप कानि नम्बर 169 की सहायता से सिलचिट करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े

पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री गोपीलाल द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी टेबल की दराज में रखनें से संबंधित दराज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक अन्य कांच के साफ गिलास में टेबल पर रखी बोटल में से गवाह श्री जमनालाल से गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिस पर एक कपडे की चिन्दी को उक्त गिलास में डूबोकर भिगोया गया तो भी घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तत्पश्चात उक्त भीगी चिन्दी को संबंधित दराज में रिश्वत राशि बरामदगी स्थान पर घुमाया जाकर कांच के गिलास में डूबोया गया तो धोवन का हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को श्री प्रदीप कानि नम्बर 169 की सहायता से सिलचिट करा मार्क डी–1 व डी –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात स्वंतत्र गवाह श्री विजय प्रकाश के पास रखी बरामदशुदा रिश्वती राशि निकलवाकर गिनवाई गई तो 500–500 रूपयें के कुल 50 नोट होकर कुल 25000 रूपयें राशि होना पाई गई उक्त राशि का दोनों गवाहानों से पूर्व में मुर्तिब की फर्द पेसकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया तो हुबहु नंबरी रिश्वती नोट मिले जिनके नंबरों का विवरण निम्न है–

क0सं0	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 UH 030164
2	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 AE 109876
3	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 AQ 225654
4	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 MG 976135
5	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 ER 861612
6	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 UN 105089
7	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 MK 662977
8	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 QF 519929
9	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 RP 761623
10	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 WE 074523
11	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 CQ 605970
12	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 EH 980305
13	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 GS 929954
14	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 RD 126665
15	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 ME 433670
16	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 DD 706715
17	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 BV 302020
18	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 LM 419814
19	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 MG 382934
20	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 WR 634015
21	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 LP 580298
22	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 AG 935959
23	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 NA 897493
24	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 RQ 102186
25	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FU 413778
26	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 NS 425744
27	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 PV 972059
28	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 FR 028775
29	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 AQ 367783
30	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 NQ 396637
31	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 DP 674146
32	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 LE 888874
33	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 BM 420229

34	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 PC 151053
35	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 RV 106937
36	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 FD 228766
37	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 GU 411797
38	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 NP 475066
39	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 BH 328414
40	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 LF 218205
41	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 PU 445287
42	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 PN 771263
43	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 RA 667171
44	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 PQ 049853
45	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 CT 811187
46	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 AB 006091
47	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 UB 180545
48	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 HM 187548
49	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 MC 340057
50	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 EM 511534

उक्त बरामदशुदा रिश्वती राशि 25000 रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर श्री प्रदीप कानि नम्बर 169 की सहायता से सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार पीओ आबकारी थाना मावली एवं श्री गोपी लाल आबकारी निरीक्षक वृत मावली की दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता से संबधित पुछताछ वांछित होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि0 श्री राजेश एवं श्री प्रदीप को सरकारी वाहन से तुरंत आबकारी थाने पहुँच कर आरोपी श्री महेन्द्र कुमार को डिटेन कर लाने हेतु हिदायत देकर रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात कानि0 श्री राजेश एवं श्री प्रदीप कुमार एक व्यक्ति को अपने साथ में लेकर उपस्थित हुए। उक्त व्यक्ति से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर होना बताया। तत्पश्चात आरोपियों श्री गोपीलाल एवं श्री महेन्द्र कुमार को आमने–सामनें बिठाकर पुछा गया तो आरोपी श्री गोपीलाल ने कहा मेरे द्वारा ग्रहण की गई कुल 25000 रूपयें रिश्वत राशि में से 3000 रूपयें श्री महेन्द्र कुमार पीओ साहब के प्रतिमाह 1000 रूपयें के हिसाब से तीन माह के कुल 3000 रूपयें मेने ग्रहण किये गये तथा ग्रहण करने के पश्चात इसके संबन्ध में मेरे मोबाईल फोन से श्री महेन्द्र कुमार जी सीआई साहब से जरिये वाट्सअप कॉल कर वार्ता भी की है जिस पर आरोपी श्री महेन्द्र कुमार से इस बाबत् पुछने पर उसने बताया कि मैं फरवरी 2021 में यहां पदस्थापित हुआ था। मैं परिवादी विष्णु कलाल की मेनार में शराब की लाईसेन्सी दुकान है जिसके संचालन की एवज में उससे प्रतिमाह 1000 रूपयें के हिसाब से मासिक बंदी रिश्वत के रूप में लेता हुँ। श्री गोपीलाल जी ने मुझे आज ही वॉटस अप कॉल पर कुछ देर पहले कॉल कर बताया कि विष्णु आया है आपके विष्णु से कितने क्या पैसे बाकि है और कहा कि मैंने पैसे प्राप्त कर लिये है। तत्पश्चात आरोपी श्री महेन्द्र कुमार ने नजरे नीचे कर हाथ जोडकर कहा कि साहब एक बार छोड दो गलती हो गई ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। आरोपी श्री महेन्द्र कुमार के मोबाईल के वॉटसअप के कॉल फंक्शन को ओपन करा देखा गया तो आरोपी श्री गोपीलाल के वॉटसअप से इनकमिंग कॉल आना प्रमाणित पाया गया। जिस पर दोंनों आरोपियों के मोबाईल का स्क्रीनशॉट लिया जाकर कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त स्क्रीनशॉट की प्रति प्रिन्ट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री गोपीलाल, श्री महेन्द्र कुमार एवं परिवादी श्री विष्णु कुमार के आपस में कोई रंजीश अथवा उधार रूपयों के बकाया लेनदेन संबंधी पुछा गया तो

दोनों के द्वारा इंकार किया गया। कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली की उपस्थिति पंजिका माह जनवरी 2022 की छायाप्रति करा स्वंतत्र गवाहानों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। समय करीब 4:00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहानों, आरोपी श्री गोपीलाल सोलंकी, आरोपी श्री महेन्द्र कुमार एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 06.01.2022 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन मध्य हुई रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता चलाकर सुनाया गया तो उसमें आरोपी श्री गोपीलाल एवं परिवादी ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया जिस पर टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर कानि0 श्री दिनेश कुमार से मेरे निर्देशन में उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई तथा वार्ता की एक मूल एवं एक मुल्जिम सीडी एवं एक आईओ सीडी डब कराकर बनवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क बी अंकित कर मूल सीडी को कपडे की थैली में सील्ड मोहर मार्क बी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद की गई। समय करीब 5:30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहानों, आरोपी श्री गोपीलाल सोलंकी, आरोपी श्री महेन्द्र कुमार एवं परिवादी के समक्ष आज दिनांक 06.01.2022 को आरोपी श्री गोपीलाल द्वारा आरोपी श्री योगेश सालवी से मोबाईल पर करवाई गई वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो उसमें आरोपी श्री गोपीलाल ने एक आवाज स्वयं तथा अन्य आवाज श्री योगेश सालवी की होना स्वीकार किया। जिस पर टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर कानि0 श्री दिनेश कुमार से मेरे निर्देशन में उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई तथा वार्ता की एक मूल एवं एक मुल्जिम सीडी एवं एक आईओ सीडी डब कराकर बनवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क सी अंकित कर मूल सीडी को कपडे की थैली में सील्ड मोहर मार्क सी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद की गई। साथ ही उपर्युक्त कार्यवाही में मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को टेप रिकार्डर से पृथक कर एक कपडे की थेली में सीलबन्द किया जाकर मार्क 'डी' अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों लिया गया। समय 05:45 पीएम पर आरोपी श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर को जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. के अपराध से आगाह किया जाकर सीआरपीसी के प्रावधानों से अवगत करा हस्बकायदा गिरफ्तार किया जाकर पृथक से फर्द मुर्तिब की गई। अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई तो अभियुक्त की पहनी हुई जिसं पेन्ट की बांयी जेब में एक मोबाईल फोन रेडमी 9 प्राईम कंपनी जिसके आईएमईआई–1 नंबर 869496045058401, आईएमईआई–2 नंबर 869496045058419 होकर ड्यूल सिम वाला कब्जे से मिला इसके अलावा कोई संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई और न ही कब्जे ब्यूरों ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके पुत्र श्री राहुल को दी गई। समय करीब 05:50 पीएम पर आरोपी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर को जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. के अपराध से आगाह किया जाकर सीआरपीसी के प्रावधानों से अवगत करा हस्बकायदा गिरफ्तार किया जाकर पृथक से फर्द मुर्तिब की गई। अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई तो अभियुक्त की पहनी हुई जिसं पेन्ट की बांयी जेब में एक मोबाईल फोन रेडमी एम2010जे19एसआई कंपनी जिसके आईएमईआई–1 नंबर 864455056929913, आईएमईआई–2 नंबर 864455056929921 होकर ड्यूल सिम वाला कब्जे से मिला इसके अलावा कोई संदिग्ध

अथवा आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई और न ही कब्जे ब्यूरों ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके पुत्र श्री संदीप को दी गई। समय 06:00 पीएम पर आरोपी श्री गोपीलाल एवं श्री महेन्द्र कुमार के कोविड टेस्ट तथा मेडीकल मुआयना करवानें हेतु चिकित्साधिकारी सामान्य चिकित्सालय मावली के नाम तहरीर जारी कर कानि. श्री राजेश कुमार एवं श्री प्रदीप कुमार को मय आरोपियों के जरिये सरकारी वाहन के रवाना किया गया जो समय करीब 06:40 पीएम पर कोविड एवं स्वास्थ्य परीक्षण करा जरिये सरकारी वाहन के पुनः उपस्थित आये। समय करीब 7:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, आरोपियों एवं स्वंतत्र गवाहानों की मौजूदगी में फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 8:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री गोपीलाल सोलंकी आबकारी निरीक्षक वृत मावली को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र कमांक एसपीएल 3 दिनांक 6.1.2022 दिया गया जिस पर श्री गोपीलाल ने उक्त पत्र के पुस्त पर ही अपनी आवाज का नमूना नही देना एवं स्पष्टीकरण न्यायालय में देना अंकित किया एवं श्री महेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी पत्र कमांक एसपीएल 4 दिनांक 6.01.2022 दिया गया जिस पर श्री महेन्द्र कुमार ने उक्त पत्र के पुस्त पर ही अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में देना अंकित किया। संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 9:20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री विजय प्रकाश, श्री जमनालाल, श्री दिनेश कुमार मय प्रिन्टर लेपटॉप तथा प्रदीप कुमार मय ट्रेप बॉक्स तथा जब्तशुदा सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स, श्री राजेश कानि0 एवं श्री नन्दकिशोर अन्य आवश्यक संसाधन के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गोपीलाल एवं श्री महेन्द्र कुमार को साथ लेकर कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली से भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर के लिए रवाना हुए तथा अन्य कोई सरकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं होने से कार्यालय की चाबी ठेकाकर्मी श्री रामचन्द्र को सुपुर्द की गई जाकर प्रातः सक्षम अधिकारी को सूचित करनें हेतु पाबंद कर वहां से रवाना होकर समय करीब समय करीब 11:14 पीएम पर पुलिस थाना हाथीपोल पहुँच आरोपी श्री गोपीलाल एवं श्री महेन्द्र कुमार को पुलिस थाने के हवालात में सुरिक्षत रखने हेतु सुपुर्द कर इस समय कार्यालय में उपस्थित हुआ। स्वतंत्र गवाहानों को रूकसत दी गई। मालखाना आईटम प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर सुरक्षित रखने एवं संबंधित रजिस्टर में इन्द्राज करनें की हिदायत दी गई।

दिनांक 07.01.2022 को समय करीब 1:45 पीएम पर आरोपी श्री गोपीलाल एवं श्री महेन्द्र कुमार को पुलिस थाना हाथीपोल से लाने हेतु श्री दिनेश कुमार एवं श्री प्रदीप कुमार कानि0 को सरकारी वाहन से रवाना किया गया जो समय करीब 2:30 पीएम पर मय दोनों आरोपियों के कार्यालय पर उपस्थित हुए। तत्पश्चात आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करनें हेतु रवाना हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को जेसी आदेशित किया जाने पर केन्द्रिय कारागार उदयपुर पर जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री विष्णु कुमार कलाल की आबकारी वृत्त मावली के ग्राम मेनार तथा आबकारी वृत्त सलुंबर के ग्राम अमरपुरा तथा रामज में लाइसेन्सी शराब की दुकान बिना परेशान किये संचालन में वृत्त मावली तथा वृत्त सलुंबर के आबकारी निरीक्षक कमशः श्री गोपीलाल सोलंकी तथा श्री योगेश सालवी एवं श्री महेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोंग कर आपसी षडयंत्र रचकर परिवादी से प्रतिमाह रिश्वत राशि बन्धी के रूप में प्राप्त करनें हेतु अवैध रूप से दबाव बनाकर आरोपी श्री गोपीलाल सोलंकी द्वारा स्वयं के लिए दो महीने के 5000 – 5000 रूपये के हिसाब से कुल 10000 रूपये, आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर श्री योगेश सालवी के लिए दो महीने के 6000 – 6000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 12000 रूपयें तथा प्रहराधिकारी श्री महेन्द्र कुमार के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 3 माह के कुल 3000

रूपयें मासिक बंधी के ग्रहण कर कुल 25000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण करनें पश्चात आरोपी श्री गोपीलाल के मोबाईल से आरोपी योगेश सालवी के मोबाईल पर वार्ता करवानें पर रिश्वत ग्रहण करनें संबंधी पुष्टि करना प्रमाणित पाया जाने के साथ ही आरोपी गोपीलाल से आरोपी श्री महेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी से आमने–सामनें वार्ता करवाये जाने पर स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष गोपीलाल वृत्त निरीक्षक द्वारा महेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी के लिए प्रतिमाह 1000 रूपयें बंधी के हिसाब से कुल 3000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण करनें की स्वीकारोक्ति किया जाना प्रमाणित पाया जाकर श्री गोपीलाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली द्वारा परिवादी से 25000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी टेबल की दराज में रखनें पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर आरोपी गोपीलाल के दोनों हाथों तथा संबंधित दराज का नियमानुसार धोवन लिया गया तो आरोपी के दायें एवं बायें हाथ के धोवन का रंग गुलाबी हुआ एवं दराज के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिस पर आरोपी गोपीलाल आबकारी निरीक्षक एवं श्री महेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरों को निवेदन किया गया किन्तु अन्य ब्यूरों टीम पहुँचने से पूर्व आरोपी श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक फरार हो गया जिसे बाद जॉच गिरफ्तार किया जायेगा।

आरोपी 1. श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर, 2. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर एवं 3. श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर द्वारा आपसी षडयंत्र रचकर परिवादी श्री विष्णु कुमार कलाल से उसकी लाईसेन्सी शराब की दुकानों को बिना परेशानी संचालन करनें की एवज में अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोंग कर मासिक बंधी के अवैध पारितोषण के रूप में रिश्वत राशि मांग कर 25000 रूपयें ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 तथा 120 बी भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी 1. श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर, 2. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर एवं 3. श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 तथा 120 बी भा.दं.सं. में पंजीबद्ध किया जाकर विस्तृत अनुसंधान किये जाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्तें कमांकन सादर प्रेषित है।

भवदीय

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1.श्री गोपीलाल, आबकारी निरीक्षक वृत मावली जिला उदयपुर 2.श्री महेन्द्र कुमार, प्रहराधिकारी, आबकारी थाना मावली, जिला उदयपुर एवं 3.श्री योगेश सालवी, आबकारी निरीक्षक, वृत सलुम्बर जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 04/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 23-27 दिनांक 7.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.,उदयपुर।

7.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।